मेरठ विकास प्राधिकरण

की

90वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 31—3—2010

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 90वीं बैठक दिनांक 31–3–2010 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 90वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 31–3–2010 को अपरान्ह 3.30 बजें से प्रारम्भ होकर 5.00 बजें तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्रीमती रितु माहेश्वरी	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री भुवनेश कुमार	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री संजय कृष्ण	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री हितेश कुमार	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
6.	श्री वशी मौहम्मद	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
7.	श्री रवि रस्तौगी	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
8.	श्री उमेश मित्तल	अधिशासी अभियन्ता, प्रतिनिधि–अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री विनोद कुमार	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ।	
10.	श्री अनुराग पटेल	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–11–2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–11–2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव, 76वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 3

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त की सहमति से मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रद्धापुरी फेस–2 हेतु पॉकेट ई को छोडते हुए रूपये 1,77,79,184.50 का कार्य करायेगा जिसमें सड़क सुदृढ़ीकरण हेतु रूपये 85,85629.50, नालियों की सफाई हेतु रूपये 62,300/–, नालियों की मरम्मत हेतु रूपये 16,64,900/– तथा सड़कों के किनारे इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने हेतु रू0 74,66,355/– शामिल है तथा डिफेन्स एन्कलेव आवासीय योजना के पॉकेट सी को छोड़ते हुए रूपये 1,71,50,970.50 का कार्य विकास प्राधिकरण करायेगा जिसमें सड़क सुदृढ़ीकरण हेतु रूपये 95,60,625.50, नालियों की सफाई हेतु रूपये 62,300/–, नालियों की मरम्मत हेतु रूपये 13,72,570/– तथा सड़कों के किनारे इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने हेतु रू0 61,55,475/– शामिल है। उक्त कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उक्त दोनों आवासीय योजनाओं में श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस–2 (ई पॉकेट को छोडकर) तथा डिफेन्स एन्कलेव आवासीय योजना (सी पॉकेट को छोडकर) नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। माननीय बोर्ड द्वारा उक्त कार्य लगभग 4 माह में कराने का भी बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया।

प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2010 में प्रत्येक बारातघर की अलग–अलग सुनवाई पूरी कर ली जाय तथा तदुपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 यथासंशोधित की संगत धाराओं के अन्तर्गत प्रत्येक बारातघर के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् आदेश पारित करते हुए उनके विरूद्ध प्रकरणवार यथापेक्षित शमन/सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –8

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मेरठ–दिल्ली बाईपास पर निर्मित/चिन्हित 65 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाना एक बेहद संवेदनशील कार्य हैं। अतः जिलाधिकारी, मेरठ एवं उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के स्तर पर उक्त अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के विषय में विचार विमर्श करके उनके ध्वस्तीकरण हेतु एक 'कार्य–योजना' बना ली जाये एवं ध्वस्त किये जाने वाले अवैध निर्माणों को सूचीबद्ध करते हुए उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित की गयी भूमि के सापेक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को प्रतिकर भुगतान हेतु अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति को भुगतान की गयी धनराशि के मिलान की कार्यवाही सन्तोष जनक नहीं हैं। माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, मेरठ एवं तहसीलदार/सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण अपने स्टाफ के साथ बैठकर 15 दिन के अन्दर मिलान की कार्यवाही करते हुए तद्विषयक संयुक्त आख्या, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, मेरठ को प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –4

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–11

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

मद सं0–14

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

मद सं0–20

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या – 8

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 2

माननीय बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या – 87

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि गठित समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण का पृथक–पृथक परीक्षण कराकर अपनी आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

प्राधिकरण की 90वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद संख्या– 1

वित्तीय वर्ष 2010–11 का बजट प्रस्ताव

माननीय बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु प्रस्तुत संशोधित बजट तथा वित्तीय वर्ष 2010–2011 हेतु प्रस्तुत बजट को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 1

विकास प्राधिकरण, उ0प्र0दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0) एवं अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) तथा अन्य आय वर्गो को अफोर्डेबिल हाउसिंग उपलब्ध कराने के लिये मानकों के निर्धारण की उपविधि–2009 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 2

मेजर ध्यानचन्द योजना हेतु अर्जित भूमि के सापेक्ष योजित सन्दर्भो में समझौते के आधार पर शताब्दीनगर, वेदव्यासपुरी व लोहियानगर योजना की भांति रूपये 165/– प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 3

मेरठ विकास प्राधिकरण से बागपत–बडौत–खेकड़ा विकास प्राधिकरण में सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारियों की पूर्ण रूपेण तैनाती।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(श्रीमती रितु माहेश्वरी)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(श्रवण कुमार शर्मा)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

श्रवण कुमार शर्मा
आयुक्त
मेरठ मण्डल, मेरठ।